न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– रक्षा पारीक, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 12/2015 (अपील)
दायर दिनांक – 16/10/2015
निर्णय दिनांक – 03/04/2025

अनवान

1. छगनलाल पिता लख्मीचन्द महाजन (चोरडिया) निवासी देपर तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द

अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत मण्डियाना, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मण्डियाना तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. नारायणी बाई पत्नि स्व. गोवर्धनलाल जाट निवासी थामला (भायला) तह. मावली जिला उदयपुर
3. कैलाशीबाई पत्नि भूरा जाट निवासी मोरडी तह. मावली जिला उदयपुर
4. वरदीबाई पत्नि रामलाल जाट निवासी मरतणी ढाणा तह. मावली जिला उदयपुर
5. सुगनाबाई पत्नि मोहनलाल जाट निवासी सालेरा खुर्द तह. मावली जिला उदयपुर

रेस्पोडेण्टगण

उपस्थित –
प्रार्थीगण की ओर से – श्री फतहलाल बोहरा, अधिवक्ता
विपक्षीगण की ओर से – –

दिनांक – 03/04/2025

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 238 दिनांक 06.01.1984, अधिनस्थ न्यायालय, ग्राम पंचायत मण्डियाना, के आदेश के विरूद्व

: : निर्णय : :

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 238 दिनांक 16.01.1984, अधिनस्थ न्यायालय, ग्राम पंचायत मण्डियाना, के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गयी कि अपीलाण्ट ने ग्राम देपुर में स्थित आराजी संख्या 937 रकबा 01–04 बीघा विकय पत्र तादादी 1500/– रूपये दिनांक 09.04.1976 को काना पिता खेमा जाट निवासी देपुर से कय की तथा कय करने के बाद आराजी संख्या 937 रकबा 01–04 बीघा प्रार्थी के खाते हो चुकी है, मगर चाह संख्या 935 का वारा एवं हिस्सा म्यूटेशन द्वारा दर्ज कराने पर उक्त म्यूटेशन हल्का पंचायत ने बिना किसी अधिकार के खारिज कर दिया, जिसकी सूचना अपीलाण्ट को नही दी गई और अपीलाण्ट ने परसों दिनांक 05.10.2015 को हल्का पटवारी से सम्पर्क कर उक्त चाह बाबत् जानकारी चाही तो

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

पता लगा की उक्त चाह नम्बर का वारा एवं हिस्सा अपीलाण्ट/प्रार्थी के नाम स्वीकृत होने के बावजूद रेकर्ड में दर्ज नही हुआ है। जिसकी नाराजगी से यह अपील निम्न विवाद बिन्दुओं पर प्रस्तुत है। जिसकी जानकारी दिनांक 05.10.2015 को होने से नोलेज की दिनांक से अन्दर अवधि पेश है। साथ में धारा 05 मयादी अधिनियम की दरखास्त मय शपथ पत्र संलग्न है। मालियत अपील 500/– रूपया होकर निश्चित न्याय शुल्क पर अन्दर अवधि पेश है। अपीलाण्ट ने स्व0 काना पिता खेमा जाट निवासी देपर से दिनांक 09.04.1976 को 1500/– रूपये में आराजी संख्या 937 रकबा 01–04 बीघा के साथ चाह नम्बर 935 का वारा खरीद किया और हल्का पंचायत मण्डियाना द्वारा आराजी खाते कर दी गई और चाह नम्बर खाते नही होने से उक्त इन्तकला खोला गया जिसको हल्का पंचायत ने स्वीकृत किया उसके बावजूद राजस्व रेकर्ड में आ.चा. नम्बर 935 का वारा एवं 1/5 हिस्सा दर्ज नही किया है जो विधि एव तथ्यों के विपरित है। अपीलाण्ट उक्त चाह से उक्त आराजी की सिंचाई पिलाई करता आया एवं कर रहा है तथा दिनांक 05.10.2015 को हल्का पटवारी ने सम्पर्क करने पर मालूम हुआ कि उक्त आ.चा. का हक व हिस्सा अपीलाण्ट के नाम दर्ज नही होने से अविलम्ब हल्का पंचायत मण्डियाना से नामान्तरकरण की सच्ची प्रतिलिपि दिनांक 07.10.2015 को प्राप्त की तथा राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया जो अपीलाण्ट द्वारा खरीदशुदा आराजी के साथ चाह का हिस्सा दर्ज नही है, इसलिये यह अपील पेश है। हल्का पंचायत मण्डियाना द्वारा अपीलाण्ट का कोई सूचना नही देने से राजस्व रेकर्ड में चाह नम्बर का हक व हिस्सा दर्ज नही हुआ है इस कारण अपीलाण्ट को कोई दोष नही है और अपीलाण्ट को जानकारी प्राप्त होते ही बिना किसी प्रमाद के अपील पेश कर दी है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम देपुर के चाह संख्या 935 रकबा 02 बिश्वा में अपीलाण्ट का हक व हिस्सा दर्ज करने का आदेश फरमावें व अन्य न्यायोचित दाद दिलाना फरमावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्टगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलण्ट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं अपीलार्थीया की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

विद्वान अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि अपीलाण्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आराजी

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

संख्या 937 के साथ में आ.चाह संख्या 935 का हिस्सा भी कय किया गया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण 238 निर्णय दिनांक 16.01.1984 त्रुटिपूर्ण पारित किया जाना प्रतीत है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील न्यायोचित प्रतीत होती है।

– : आदेश : –

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्णय किया जाना प्रतीत होने से अपीलर्थीया की अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 238 दिनांक 16.01.1984, अधिनस्थ न्यायालय, ग्राम पंचायत मण्डियाना स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तरण संख्या 238 दिनांक 16.01.1984 को खारिज किया जाकर तहसीलदार नाथद्वारा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विकय पत्र की जांच की जाकर एवं पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर नये से नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। पालनार्थ तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मोहर से सरे ईजलास सुनाया गया।

(रक्षा पारीक)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)